वीरांगनाएं फिर मुख्यमंत्री से मिलने निकली, पुलिस ने रोका तो मुंह में घास लेकर नतमस्तक हुई

पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने गुरुवार को फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, जब पुलिस ने उन्हें रोका तो मुंह में हरी घास लेकर जमीन पर लेटकर नतमस्तक होकर सीएम से मिलने की गुहार लगाई।

- खाचरियावास का मध्यस्थता करने से इंकार, कहा, ''मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद कुछ नहीं बोल सकता'
- किरोड़ी ने कहा, ''मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा धरना''

जयपुर, (का.प्र.)। पिछले 10 दिन से धरना दे रही पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने गुरुवार को फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, लेकिन उन्हें राजभवन चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान वीरांगनाओं ने पुलिस के आगे मुंह में हरी घास लेकर जमीन पर लेटकर नतमस्तक होकर गुहार लगाई और कहा कि वह अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक जाना चाहती हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए।

तीन वीरांगनाएं जयपुर में 7 दिन शहीद स्मारक पर धरना देने के बाद पिछले 3 दिन से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरना दे रही हैं। गुरुवार दोपहर बाद किरोड़ी लाल मीणा के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वीरांगनाओं ने आदिवासी परंपरा के अनुसार मुंह में हरी घास लेकर पुलिस से दंडवत होकर निवेदन किया कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने दिया जाए। दरअसल आदिवासी समाज में परंपरा है कि किसी भी फरियाद या विनती को मुंह में हरी घास लेकर करने से वो पूरी होती है। वीरांगनाओं ने कहा कि हमें 10 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। बेमौसम बारिश में हम भीग रहे हैं, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार इस कदर गूंगी-बहरी हो चुकी है कि उन्हें हमारी मांग सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए हम सीएम गहलोत से मिलने के लिए उनके आवास पर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर तानाशाही रुख अपनाते हुए हमें रोक लिया। हमे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वीरांगनाओं ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है पति के बाद मिलने वाली नौकरी देवर को दी जाए। इसके साथ ही सांगोद चौराहे पर शहीद की मूर्ति लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ये छोटी सी मांग सरकार नहीं मान रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की वीरांगनाओं को अपनी चुनी हुई सरकार के नेता से मिलने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। सरकार इस कदर गूंगी-बहरी हो चुकी है कि उन्हें इन वीरांगनाओं के आंसू भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीणा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती धरना जारी रहेगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी मजबूरी जताते हुए कह दिया कि कैसे इस मामले में शहीद के बच्चों की जगह शहीदों के दूसरे परिजनों को नौकरी दे सकते हैं, अगर वह ऐसा करेंगे तो शहीदों के उन बच्चों का क्या होगा। इधर इस मामले में मध्यस्थ बनाए गए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आपको इस मामले से किनारे कर लिया है। खाचरियावास ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देवर को नौकरी देने के लिए हम तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया और मुख्यमंत्री के ट्वीट आने के बाद किसी मंत्री के पास बोलने को कुछ रह नहीं जाता। खाचरियावास ने कहा कि अब यह मामला मुख्यमंत्री के पास है। हम तो उसी दिन इस मामले को खत्म कर रहे थे। ऐसे में अब हमारे पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि अब हम मंत्री के नाते ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वीरांगना के मामले को सुलझाएं। खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही हम दो दिन पहले वीरांगनाओं से वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। वैसे भी मुख्यमंत्री हम मंत्रियों से पूछ कर तो ट्वीट करते नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि गहलोत के कहने पर तीनों वीरांगनाओं से बात करने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शकुंतला रावत पहुंची थीं। उन्होंने वीरांगनाओं की मांगों को मानने के लिए हां भी कर दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर साफ कर दिया कि वीरांगना के देवर को नौकरी देने में कानूनी अड़चन है तो अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में मध्यस्थता करने से हाथ खींच लिए है।

राज्य सरकार ने पेश किया शहर का दस साल का विजन प्लान

- राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आदेश की पालना में सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने पेश किया प्लान

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से शहर का दस साल का विजन प्लान अदालत में पेश किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से पेश इस प्लान में सफाई, पार्किंग, यातायात, अतिक्रमण और आवारा पशुओं को लेकर बनाई योजना की जानकारी दी गई है।

मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की ओर से पेश विजन प्लान में कहा गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था नगर निगम से संबंधित है। ग्रेटर और हेरिटेज निगम ने वार्डवार सर्वे कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई है। इसके तहत डोर टू डोर कचरा एकत्रित कर उसका परिवहन किया जाएगा। सार्वजनिक सड़कों की सफाई के साथ ही कचरा डीपो से कचरा एकत्र कर उसका परिवहन किया जाएगा। वहीं शहर में रात्रिकालीन और मशीनों से सफाई की जाएगी। इसके अलावा सफाई के हालातों को जानने के लिए मौके पर समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और कचरा फैलाने वालों से केयरिंग चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा कचरा निस्तारण के लिए केन्द्रीयकृत कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा और शहर में मैटेरियल रिकवरी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कॉमन बायो-मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा के साथ ही कचरागाह पर बायो माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और एसटीपी प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से प्लान पेश कर बताया गया कि जेडीए और ट्रेफिक पुलिस मौजूदा परिवहन व्यवस्था में सुधार लाएगी। इसके तहत चौराहों के हालात में सुधार के साथ ही दुर्घटना वाले स्थानों को हटाकर सडकों पर संकेत और मार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यकता होने पर आरओबी, आरयूबी और एलिवेटेड रोड निर्माण के साथ ही रोड लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई अभिनव प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए जेसीटीएसएल की ओर से तीन सौ इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ करने अतिक्रमण हटाने और आवारा पशुओं की समस्या समाप्त करने के लिए नगर निगम और जेडीए ने सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। गौरतलब है कि शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट में भेजा गया था। हाईकोर्ट ने इसे वर्ष 2015 में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज कर समय-समय पर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए। वहीं गत 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शहर के विकास को लेकर दस साल का विजन प्लान पेश करने को कहा था।

वीरांगनाओं ने पूछा सवाल, ''आख़िर मुख्यमंत्री क्यों कतरा रहे हैं मिलने से?''

दसवें दिन भी जारी रहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना। मीणा ने कहा निष्ठुरता की सीमा पार कर रहे हैं मुख्यमंत्री

जयपुर। न्याय की माँग को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी वीरांगनाओं का ग़ुस्सा गुरुवार को एक बार फिर फूट पड़ा। तेज़ बारिश में वीरांगनाएं धरना स्थल सचिन पायलट के आवास से मुख्यमंत्री आवास की ओर से कूच कर गई। यहाँ पुलिस कर्मियों के साथ उनकी ज़ोरदार झड़प भी हुई। उन्होंने दाँतों में तिनका दबाकर शरणागत होते हुए शहीदों के सम्मान की बात कही।

दोपहर बाद तीन बजे वीरांगनाएं बारिश की परवाह किए बिना के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर गई। यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों ने वीरांगनाओं को रोकने की पूरी कोशिश की। हालात बिगड़ते देखकर सांसद किरोड़ी मीणा भी मौक़े पर पहुँच गये और उन्होंने वीरांगनाओं को रोककर शांति स्थापित की। काफ़ी देर तक झड़प के बाद वीरांगनाओं ने याचना करते हुए कहा कि यह सरकार की हठधर्मिता है कि पिछले 10 दिन से धरने पर बैठने के बावजूद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है की हमारे पति देश की रक्षा के लिए कुरबान हो गए उनसे मिलकर उनका दर्द जान सकें। वीरांगनाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि उनका घर कैसे चल रहा है। हम अपने देवर को नौकरी दिलाना चाह रहे हैं इसमें क्या हम मुख्य मंत्री की बेटे की नौकरी छीन रहे हैं।

डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि वीरांगनाएँ 10 दिन से धरने पर बैठी है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वीरांगना मंजू जाट आमरण पाँच दिन से अनशन पर है एक और वीरांगना को किसी तरह का ख़तरा हुआ तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की रहेगी। डॉक्टर मीणा ने कहा की दाँतों में तिनका दबाए हुए वीरांगनाएं मुख्यमंत्री के शरणागत हो रहे शहीदों के सम्मान की याचना कर रही है पर निष्ठुरता की सीमा पार कर चुके मुख्यमंत्री सम्मान देने के बजाय व्यर्थ की बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर मीना ने कहा कि गुर्जर आंदोलन में मृतक परिवारों में देवर भतीजों आदि सदस्यों को नौकरी दी गई थी जब यहाँ नौकरी दे सकते हैं इस मामले में क्या दिक़्क़त है।

करोना से एक संक्रमित की मौत

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को करोना से एक संक्रमित की मौत हो गई है। वहीं इस बीच पांच नए मरीज सामने आए हैं। इधर पिछले चौबीस घंटों में केवल तीन ही मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में फिलहाल 28 नए एक्टिव केस मौजूद है। प्रदेश में गुरूवार को राजसमंद में 3 और जयपुर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले राज्य में बुधवार को दो ही रोगी पाए गए थे। इधर आज काफी दिनों बाद राजधानी जयपुर में करोना से एक संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 9656 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में केवल तीन ही मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 28 एक्टिव केस मौजूद है। इनमें उदयपुर में 16, जयपुर में 5, राजसमंद में 3, अजमेर में 2 और अलवर व जैसलमेर में 1-1 मामला है।

कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल

जयपुर। राजधानी के शिप्रा पथ थाने में होली खेलने के दौरान शराब के नशे में साथी कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में पैट्रोल डालने का मामला सामने आया है। जब कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी गई तो उसे पास ही के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर के पूछने पर साथी पुलिसकर्मियों ने बताया की एलर्जी होने से तबीयत खराब हुई है।

पूरी घटना 8 मार्च की बताई जा रही है। जयपुर के नंबर वन थाने का अवार्ड जीत चुके शिप्रा पथ थाने में शराब के नशे में पुलिसकर्मी पैट्रोल की होली खेल रहे थे। थाने में शराब के नशे में पुलिस के जवान होली की मस्ती में सारी मर्यादाओं को लांघते हुए शराब पीते दिखे। होली खेलने के दौरान सभी जवानों ने थाने में जमकर शराब पी और इसी दौरान कांस्टेबल रोशन, सवाई और छोटू को मस्ती सूझी और 50 वर्षीय अधेड साथी चेतक ड्राइवर कांस्टेबल को पकड़ लिया।

कांस्टेबल ने विरोध किया तो तीनों ने पास ही में रखी पेट्रोल की बोतल उठाई और जबरन कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में उडेल दी। पेट्रोल डालते ही कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई और पूरा थाना स्टाफ सकते में आ गया। आनन-फानन में बेहोशी की हालत में कांस्टेबल को पास ही के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर से पूछने पर साथी पुलिसकर्मी ने बताया कि एलर्जी होने की वजह से तबीयत बिगड़ी है। उसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया।

'राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल' में पंजीकृत होने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी नहीं'

हाईकोर्ट में पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होने के लिये इस शर्त को रद्द करने के लिये याचिका दायर की

- वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले में सुनवाई की तारीख तय नहीं हो पाई है परंतु मामले को जानने वाले वकीलों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी
- याचिकाकताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 16(3) के तहत राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति के मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकतीं

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में वीरेन्द्र कुमार तथा 11 अन्य याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका दायर करते हुए अदालत से गुहार की है कि 'राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल' में पंजीकृत होने के लिये राजस्थान का मूल निवासी होने की शर्त को रद्द किया जाये। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी गुहार की है कि अगर उन्हें राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण नहीं किया जा सकता तो भी उन्हें 'असिस्टेंट रेडियोग्राफर' के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये योग्य घोषित किया जाये। बहरहाल हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है परंतु मामले को जानने वाले वकीलों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करेगी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा और उनके सहायक आनंद कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि वे उत्तरप्रदेश मेडिकल फैकल्टी के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने 14 दिसम्बर 2022 को उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखकर कहा कि अगर उक्त सदस्यों की सदस्यता उत्तरप्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने रद्द नहीं की तो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल को पंजीयन के लिये आवेदन को रद्द करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि इसी विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पद की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञप्ति के संदर्भ में दायर उनके आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किये कि याचिकाकर्ता पद के लिये आवेदन देने के लिये योग्य हैं, परंतु अदालत ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ताओं की राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में सदस्यता और भर्ती प्रक्रिया के परिणाम अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 20 फरवरी 2023 को राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल (अमेन्डमेंट) रेगुलेशन-2023 अधिकारिक गजट में प्रकाशित कर दिये जिसमें नियम 42 का संशोधन किया गया और पैरा मेडिकल काउंसिल में सदस्यता पाने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होने की शर्त को जोड़ा गया। जैसा कि विदित है कि प्रदेश का मूल निवासी घोषित होने के लिये उम्मीदवार को प्रदेश में कम से कम 10 साल पहले से निवासी होना चाहिये और उसको साबित करने के लिये उपयुक्त दस्तावेज भी होने चाहिये।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 15 दिसम्बर 2022 को असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पद की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन में लिखा गया है कि राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल के सदस्य ही नियुक्तियों के लिये आवेदन भेज सकते हैं।

परंतु नये संशोधित नियमों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल का सदस्य नहीं बनने देना चाहती ताकि वह 'असिस्टेंट रेडियोग्राफर' के पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन नहीं दे पाये। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) और 16(3) के तहत राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति के मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि भारत में कही पर भी रहे और कोई भी कार्य या व्यापार करे। परंतु राज्य सरकार के इस फैसले की मेडिकल काउंसिल का सदस्य होने के लिये प्रदेश का मूल निवासी होना पड़ेगा, यह असंवैधानिक है।

सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी

- पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा
- सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

जयपुर (कासं)। मानसरोवर इलाके में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता अपने कमरे में रस्सी के फंदे से लटकी मिली। मौत से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे मानसरोवर थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने एसएमएस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर महिला का शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में मृतका ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि मृतका शिवानी बढाणा (25) पुत्री नरेन्द्र कुमार बढाणा किरण पथ मानसरोवर की रहने वाली थी। 7 मार्च को होली पर वह अपने पीहर में थी। परिवारवाले होली की तैयारियों में जुटे थे। इस बीच, शाम करीब 4 बजे शिवानी ने अपने पीहर में ही कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। काफी समय बाद जब शिवानी कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने उसे आवाज लगाई। जवाब नहीं मिला तो जाकर देखा कि कमरा अंदर से बंद था। गेट खटखटाने के बाद भी शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर गेट तोड़कर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी। आनन-फानन में परिजन उसे किरण पथ मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पडौसियों ने बताया कि धुलंडी पर शिवानी ने अपनी सहेलियों के साथ होली खेली थी। हंसी-खुशी होली खेलने के बाद बाजार से पिज्जा मंगवाकर पार्टी की थी। दोपहर में उसके पिता की सुसरालवालों से बातचीत हो रही थी।

त्योहार होने के कारण उन्होंने अगले दिन आने को कहा था ताकि बैठकर बातचीत की जा सके। मोबाइल स्पीकर पर था और शिवानी ने भी उनकी बातें सुन लीं। इसके बाद शिवानी ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतका के पिता नरेन्द्र कुमार बढाणा ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2021 में बेटी शिवानी की शादी मनोहरपुर (शाहपुरा) निवासी प्रसनजीत से हुई थी। प्रसनजीत भुवनेश्वर में सबइंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी में कार-कैश से लेकर भरपूर दहेज दिया था। फिर भी शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुरालवाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज के लिए शिवानी को बहुत टॉर्चर किया गया। होली से 2-3 दिन पहले ही शिवानी को उसका ससुर और जेठ बुखार की हालत में कपड़ों सहित घर के बाहर छोड़कर गए थे। दहेज के लिए मेंटल टॉर्चर से परेशान होकर ही शिवानी ने अपनी जान दे दी।

खादी उत्पादों पर विशेष छूट

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत विशेष छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह छूट 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक लागू रहेगी।

बी.के.अग्निहोत्री निदेशक बने

जयपुर, (का.सं.)। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने गुरूवार को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में एक वर्ष के लिए बी.के.अग्निहोत्री को निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया है। बी.के.अग्निहोत्री वर्तमान में राविउनि के मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत है तथा निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्हें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों में कार्य करने का 34 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है।

विवाहिता ने जहर खाया, अस्पताल में मौत

जयपुर (कासं)। करधनी इलाके में विवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर जहर खा लिया। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। करधनी पुलिस ने एस.एम.एस. हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के बेड के नीचे मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पति की रिपोर्ट पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि मृतका बबीता (32) खोरा बिसल करधनी की रहने वाली थी। वह अपने पति नेमीचन्द (34) और बेटे रिशु (9) व गुनू (5) के साथ यहां रहती थी। गत 5 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे बबीता ने घर पर जहर खा लिया। मां की तबीयत खराब होते देखकर बेटे ने पिता को कॉल कर बताया। घर पहुंचने पर नेमीचन्द को बबीता बेहोशी की हालत में मिली, जिसे तुरंत कावंटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बबीता का हालत गंभीर देखकर उसे एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।, जहां इलाज के दौरान 7 मार्च को बबीता की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति ने बताया कि इलाज के दौरान बबीता ने थोड़ी देर होश में आने पर बताया था कि रामदेव बुनकर और उनके बेटों व बाबूलाल को मत छोड़ना। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतना कहकर बबीता फिर बेहोश हो गई थी। बबीता की मौत के बाद घर पर बेड के गद्दे के नीचे डायरी रखी मिली। डायरी में बबीता का लिखा सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा था, ''मैं बबीता सुसाइड कर रही हूं। क्योंकि मुझे रामदेव गांधी और उसके दोनों बेटे व जंवाई बाबूलाल बहुत परेशान कर चुके है। इन लोगों ने मेरी बेहोशी का फायदा उठा कर मेरी वीडियो बनाई। जिस दबाव में आकर मैंने इनसे एग्रीमेंट किया। जो कि इन्होंने पुलिस से धमकी दिलवा कर करवाया। रामदेव गांधी के पैसे के चक्कर ही नहीं था। ये तीनों बाप-बेटे खुद में दो चूड़ियां बिकवाए थे। कुछ मेरे पति के जोड़े हुए थे। ये सब पैसे वाले है, इसलिए सब इनकी ही सुन रहे है। परसो, मुझे मुरलीपुरा इनके बेटे मिले थे। उन्होंने बोला या तो मैं चुपचाप मकान उनको दे दूं। नहीं तो वो मुझे बदनाम और मेरे बच्चो को मारवा देंगे। इसलिए किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। पापा-मम्मी मुझे माफ कर देना।

सिटी पार्क में 20 रुपये प्रवेश शुल्क लागू करते ही घूमने वाले लोगों की संख्या घटी

- हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन का दावा है कि गुरूवार को 5150 लोगों ने टिकट लेकर पार्क का भ्रमण किया
- पार्क में सुबह 6 बजे से 9 तक शुल्क न लेने तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रखने पर लोगों ने खुशी जताई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मानसरोवर के सिटी पार्क में 20 रुपये का प्रवेश शुल्क शुरू होते ही यहां घूमने वाले लोगों की संख्या घट गई है। हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन का दावा है कि गुरूवार को 5150 से ज्यादा लोगों ने टिकट लेकर पार्क का भ्रमण किया। जबकि सूत्रों की मानें तो यहां पार्क बनने के बाद से अभी तक वर्किंग-डे में रोजाना 7-8 हजार तथा शनिवार-रविवार को 22 से 25 हजार लोग उमड़ते थे।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा का कहना है कि पार्क के रखरखाव के लिए 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क रखा है। इससे पार्क में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगेगी। मंडल की सचिव अल्पा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय पूनिया, आवासन अभियंता के.के. दीक्षित समेत अन्य अधिकारियों ने गुरुवार को विधिवत तरीके से टिकट व्यवस्था को प्रारंभ करवाया। पहले दिन जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए थे तथा कैश काउंटर पर ऑफलाइन पेमेंट के साथ ऑनलाइन की भी सुविधा दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पार्क में सुबह आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स ने प्रात: 6 बजे से 9 तक प्रवेश शुल्क ना लेने और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश पर खुशी जाहिर की। पार्क में पहुंचे 75 वर्षीय किशन पारवानी ने कहा कि कुछ लोग शाम को आना पसंद करते हैं। ऐसे में सालभर के लिए 999 का रियायती पास वॉकर्स के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।

झुंझुनू से आए मोहित सुंडा ने कहा कि शहर के अन्य पार्कों मसलन किशन बाग में 50 रुपए, कुलिश स्मृति वन में 30, जलधारा में 30 में रामनिवास बाग स्थित सावन भादो में 20 का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में केवल 20 रुपए प्रवेश शुल्क किसी भी स्तर पर ज्यादा नहीं है। काबिले गौर है कि प्रदेश के अलावा देश के अन्य शहरों में स्थित मशहूर पार्कों में भी टिकटिंग की व्यवस्था काफी समय से संचालित हो रही है। पार्क में आए लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से पेमेंट को सराहा। परिसर में जगह-जगह क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए जिनसे आसानी से पेमेंट हो पा रहा था। आमजन गूगल प्ले स्टोर से सिटी पार्क जयपुर ऐप डाउनलोड कर आसानी से प्रवेश शुल्क का भुगतान कर रहे थे।